भारत में मनरेगा कार्यान्वयन: अंतर्दृष्टि और रुझान, अप्रैल-सितंबर *2024*

\

ईमेल : contactus@libtech.in | +91 92465 22344

http://libtech.in/ @LibtechIndia @libtechindia

भूमिका

यह रिपोर्ट अप्रैल से सितंबर 2024 की अवधि के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के कार्यान्वयन की स्थिति का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसकी तुलना पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की इसी अवधि से की गई है। इस विश्लेषण के लिए 10 अक्टूबर, 2024 तक के के आँकड़े आधिकारिक मनरेगा वेबसाइट (https://nrega.nic.in/) से लिए गए हैं। हमारा उद्देश्य नागरिकों और हितधारकों को मनरेगा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति के बारे में अहम जानकारी प्रदान करना है, जिसमें प्रमुख रुझानों और योजना की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट के साथ आपका जुड़ाव देश भर में मनरेगा कार्यान्वयन से जुड़े पहलुओं की गहरी समझ को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- सक्रिय श्रमिकों में **8%** की गिरावट: पिछले वर्ष की तुलना में कम लोग मनरेगा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

- **39** लाख श्रमिकों का हटाया जाना: अध्ययन की गई अवधि में 85 लाख श्रमिकों के जॉब कार्डों को नरेगा रजिस्ट्री से हटाया गया, वहीं केवल 45 लाख श्रमिकों को ही इस दौरान मनरेगा में जोड़ा गया। इस प्रकार श्रमिकों की कुल संख्या में 39 लाख की कमी आई। यह ग़लत तरीक़े से जॉब कार्ड मिटाए जाने सम्बंधी कई चिन्ताएँ पैदा करता है।

- **6.7** करोड़ श्रमिक एबीपीएस के लिए अयोग्य: सभी श्रमिकों में से 27.4%, या 6.7 करोड़ लोग, आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से मज़दूरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे एबीपीएस के लिए अयोग्य हैं।

- सृजित व्यक्ति-दिवसों में **16.6%** की गिरावट: पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा के तहत रोज़गार के अवसरों में काफ़ी गिरावट आई है, पिछले साल के 184 करोड़ के मुक़ाबले इस साल सृजित व्यक्ति-दिवस 154 करोड़ ही रह गए हैं।

- कार्यदिवसों में राज्य-आधारित अंतर: तमिलनाडु और ओडिशा में व्यक्ति-दिवसों में सबसे अधिक गिरावट आई, जबकि महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में वृद्धि देखी गई।

- पश्चिम बंगाल में मनरेगा बंद: भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस राज्य में दिसम्बर 2021 से ही नरेगा कार्यक्रम बंद है जिसके चलते नरेगा मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं।

- ए.बी.पी.एस. के साथ प्रणालीगत मुद्दे: कई मज़दूरों को ए.बी.पी.एस. के कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे मनरेगा में भाग लेने की उनकी क्षमता और कम हो जाती है।

1. प्रमुख आँकड़े

तालिका ***1:*** *2023-24* और *2024-25* के लिए मनरेगा सम्बंधी प्रमुख आँकड़े

मेट्रिक्स	**2023-24**	**2024-25**
ज़िलों की कुल संख्या	740	
मंडलों (ब्लॉक) की कुल संख्या	7,181	
पंचायतों की कुल संख्या	2,68,925	
10 अक्टूबर 2024 तक जारी किए गए जॉबकार्ड (लाखों में)	14.6	14.3
10 अक्टूबर 2024 तक सक्रिय जॉबकार्डों की कुल संख्या (लाखों में)	9.7	9.2
10 अक्टूबर 2024 तक सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाखों में)	14.3	13.2
उत्पन्न व्यक्ति दिवस (करोड़ में) (अप्रैल से सितम्बर तक)	191.72	159.26

आगामी अनुभागों में, हम मनरेगा के रोज़गार प्रावधानों और देश भर में इसके कार्यान्वयन पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे ताकि उचित जानकारी और विश्लेषण के मुताबिक़ नीतिगत सिफ़ारिशें की जा सकें।

2. श्रमिकों की भागीदारी

- सक्रिय कामगारों की संख्या में 8% की कमी

तालिका **2:** जॉब कार्ड जारी करने और सक्रिय भागीदारी का तुलनात्मक विश्लेषण *(2023-24 बनाम 2024-25)*

	6 अक्टूबर **2023** तक	**10** अक्टूबर **2024** तक	गिरावट **(%)**
जारी किए गए जॉबकार्ड (करोड़ में)	14.6	14.3	2.5
सक्रिय जॉबकार्डों की कुल संख्या (करोड़ में)	9.7	9.1	5.7
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (करोड़ में)	14.3	13.1	8.2

तालिका 2 में पिछले छह महीनों में मनरेगा में भागीदारी में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में स्पष्ट कमी दिखाई देती है जो कार्यक्रम से धीरे-धीरे लोगों के अलग होने का संकेत है। हालाँकि जारी किए गए जॉबकार्ड में गिरावट अपेक्षाकृत कम यानी लगभग 2.5% है, लेकिन सक्रिय जॉबकार्ड और सक्रिय श्रमिकों के मामले में 5.7% और 8% की गिरावट के साथ ज़्यादा गिरावट दिखाई देती है, जो यह संकेत देती है कि जॉबकार्ड होने के बावजूद कम लोग मनरेगा से जुड़ रहे हैं।

2.1 श्रमिकों को नरेगा डेटाबेस से मिटाना

- इस वित्तीय वर्ष में 39 लाख श्रमिकों को नरेगा डेटा बेस से मिटा दिया गया

तालिका ***3:*** अप्रैल से सितंबर *2024* के दौरान नरेगा डेटाबेस से मिटाए गए श्रमिकों की स्थिति

क्रमांक	विवरण	संख्या **(लाखों में)**
1	पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	2460.46
2	चालू वर्ष में हटाए गए श्रमिकों की संख्या (ए)	84.84
3	चालू वर्ष में जोड़े गए श्रमिकों की संख्या (बी)	45.48
4	हटाए गए कुल श्रमिक ('ए' से 'बी' को घटाने पर)	39.37

लिबटेक इंडिया की पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 8 करोड़ से ज़्यादा मज़दूरों को मनरेगा रजिस्ट्री से हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश में लिबटेक इंडिया द्वारा किए जा रहे एक अध्ययन में पाया गया कि इनमें से लगभग 15% नाम ग़लत तरीक़े से हटाए गए थे। कई समाचार रिपोर्टों ने उन वास्तविक मज़दूरों की दुर्दशा को भी उजागर किया है ग़लत तरीक़े से नरेगा डेटाबेस से हटा दिया गया था। इन ख़बरों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर मीडिया का काफ़ी ध्यान आकर्षित किया।

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के दबाव तथा ग़लत तरीक़े से आधार हटाए जाने की समस्या से निपटने में राज्य सरकारों की विफलता ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

इस संदर्भ में, उम्मीद की जा सकती है कि सरकार चालू वित्त वर्ष में प्रभावित कामगारों को बहाल करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगी। हालाँकि, तालिका 3 में दिए गए डेटा से पता चलता है कि श्रमिकों को नरेगा डेटाबेस से मिटाए जाने का चलन जारी है। जितनी संख्या में नए श्रमिकों को जोड़ा गया है उससे कहीं ज़्यादा संख्या में श्रमिकों को नरेगा डेटाबेस से हटा दिया गया है।

इस प्रवृत्ति के चलते अप्रैल 2022 से सितंबर 2024 तक पिछले ढाई वर्षों में हटाए गए 8 करोड़ से अधिक श्रमिकों में से वास्तविक श्रमिकों की स्थिति को लेकर चिंता होना लाज़मी है। (अप्रैल-सितंबर 2024 के बीच मिटाए गए जॉब कार्डों के विस्तृत राज्य-स्तरीय आंकड़ों के लिए कृपया अनुलग्नक **1** देखें।)

3. एबीपीएस के लिए पात्रता

- देशभर में 6.7 करोड़ मनरेगा कामगार एबीपीएस के लिए पात्र नहीं हैं

तालिका ***4:*** देश में सभी नरेगा श्रमिकों और सक्रिय नरेगा श्रमिकों की एबीपीएस अपात्रता

वर्ग	कुल श्रमिकों की संख्या (करोड़ में)	ए.बी.पी.एस. के लिए अयोग्य (करोड़ में)	एबीपीएस के लिए अयोग्य श्रमिकों का प्रतिशत
सभी कामगार	24.61	6.73	27.4
सक्रिय कामगार	12.78	0.54	4.2

जनवरी 2023 में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने मनरेगा के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया। ABPS हेतु पात्र होने के लिए, श्रमिकों को कई शर्तें पूरी करनी होंगी: उनका आधार उनके जॉब कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, आधार पर दर्ज़ नाम जॉब कार्ड पर दर्ज़ नाम से मेल खाना चाहिए और उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के साथ भी मैप होना चाहिए।

जन आक्रोश और नागरिक समाज संगठनों के दबाव के कारण, ए.बी.पी.एस. के कार्यान्वयन की समय-सीमा को कई बार बढ़ाया गया । हालाँकि, 1 जनवरी, 2024 से ए.बी.पी.एस. को अनिवार्य कर दिया गया है। कई बार बढ़ाई गई समय-सीमाओं के बावजूद, सभी मनरेगा श्रमिकों में से 27.4% और सक्रिय श्रमिकों में से 4.2% वर्तमान में ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र हैं, जैसा कि तालिका 4 में दर्शाया गया है।

हमारे साक्षात्कारों के दौरान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ए.बी.पी.एस. की अयोग्यता के कारण मज़दूरों को काम देने से इनकार न करें। लेकिन, हमें 10 राज्यों में 200 ऐसे मामले मिले हैं जहाँ ए.बी.पी.एस. के लिए अयोग्य श्रमिकों को वेतन न मिलने के डर से फ्रंटलाइन कर्मचारियों द्वारा काम से मना किया जा रहा है।

3.1 राज्य स्तरीय आँकड़े

- महाराष्ट्र में 66.3% श्रमिक और असम में 22% सक्रिय श्रमिक एबीपीएस के लिए अपात्र हैं

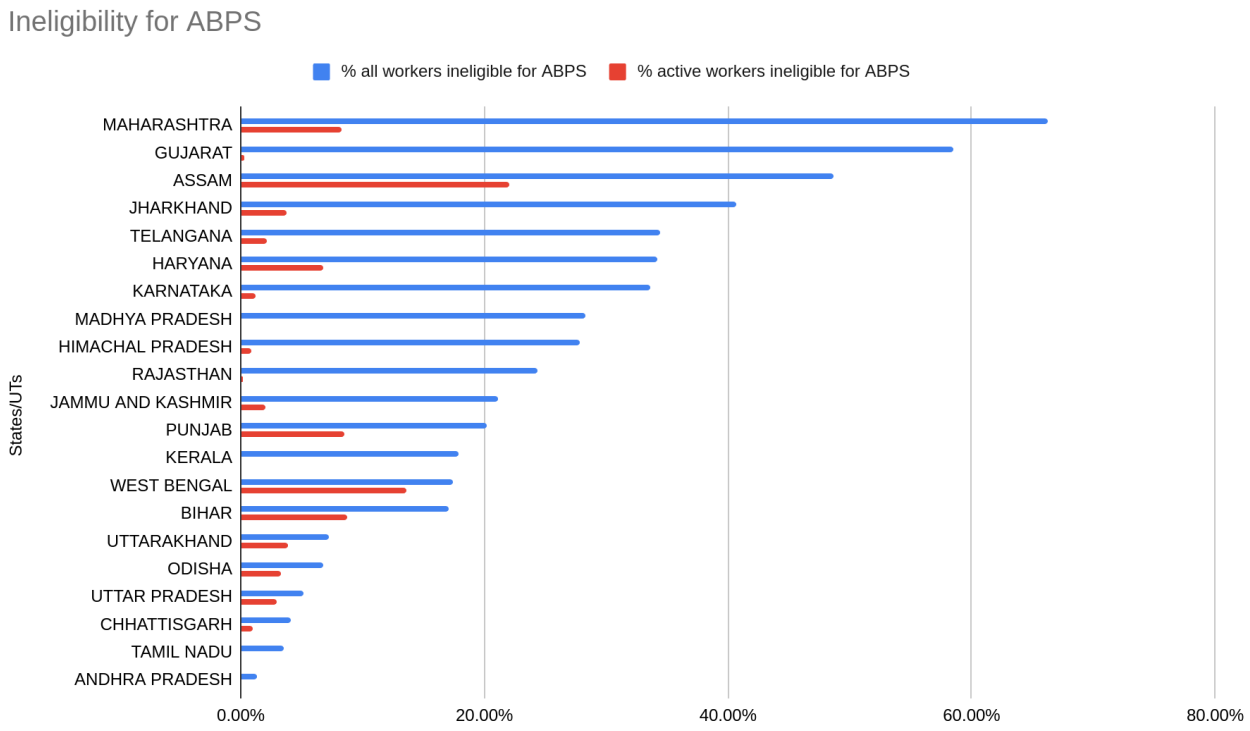

चित्र ***1:*** राज्यों में सभी श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों के बीच ए.बी.पी.एस. के लिए अयोग्य श्रमिकों का प्रतिशत

चित्र 1 देश में ABPS के लिए राज्यवार 'सभी कामगारों' और 'सक्रिय कामगारों' की अयोग्यता का एक उदाहरण है। सक्रिय कामगारों के आँकड़ों को देखा जाए तो असम में ABPS के लिए अयोग्य कामगारों का प्रतिशत सबसे अधिक है जबकि केरल में अयोग्य कामगारों का प्रतिशत सबसे कम है क्योंकि यह राज्य सार्वभौमिक ABPS पात्रता के क़रीब है। सभी कामगारों के मामले में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक अयोग्य कामगार हैं जबकि आंध्र प्रदेश में अयोग्य कामगारों का प्रतिशत सबसे कम है।

इसके अलावा, केवल असम और पश्चिम बंगाल में 10% से अधिक सक्रिय श्रमिक ए.बी.पी.एस. के लिए अयोग्य हैं और किसी भी राज्य में 25% से अधिक “सक्रिय कामगार” अयोग्य नहीं हैं। हालाँकि, जब हम “सभी कामगारों” के आँकड़े देखते हैं तो अनुपात बहुत अधिक होता है, 9 राज्यों में ए.बी.पी.एस. के लिए 25% से अधिक श्रमिक अयोग्य हैं।

4. रोज़गार की उपलब्धता

- सृजित व्यक्ति दिवसों में *16.6%* की गिरावट

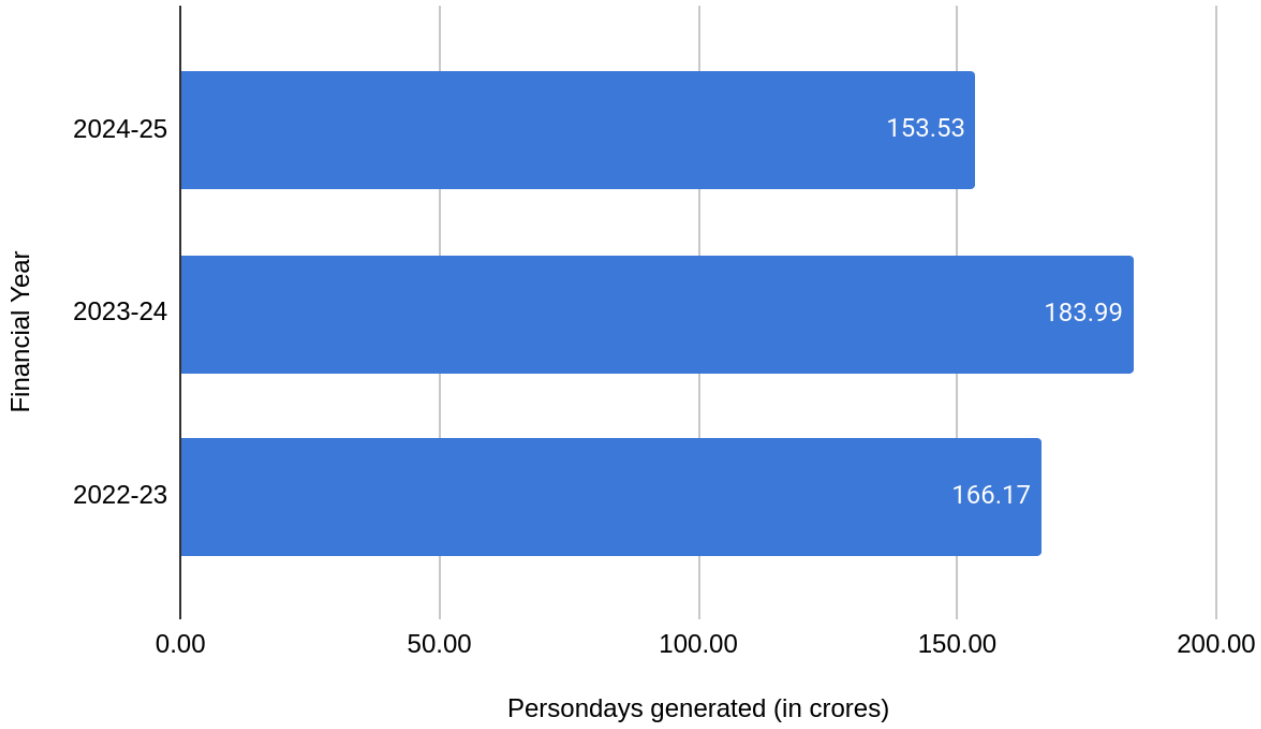

चित्र ***2:*** *2022-23, 2023-24* और *2024-25* के लिए अप्रैल और सितंबर के बीच सृजित व्यक्ति दिवसों सम्बंधी रुझान

चित्र 2 तीन वित्तीय वर्षों में अप्रैल से सितंबर तक रोज़गार सृजन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 166 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ तक रोज़गार सृजन में 10% की वृद्धि के बाद, चालू वित्तीय वर्ष में रोज़गार सृजन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जिसमें रोज़गार सृजन में 153 करोड़ (16.6%) की कमी आई है।

यह मानना उचित होगा कि यदि ग़लत तरीक़े से हटाए गए श्रमिकों को बहाल किया गया होता तो उत्पन्न व्यक्ति दिवसों की संख्या और भी अधिक होती, जो नरेगा पर श्रमिकों की भारी निर्भरता को उजागर करता है। इससे साफ़ है कि नरेगा योजना के तहत रोज़गार के अवसरों की भारी माँग पहले भी थी और इसमें अभी भी बढ़ोतरी हो रही है।

4.1 राज्य स्तरीय आँकड़े

- *14* राज्यों में कार्य-दिवसों में कमी आई जबकि *6* राज्यों में इनमें वृद्धि हुई

अप्रैल-सितंबर 2023-24 की तुलना में, 14 राज्यों में सृजित कार्य-दिवसों की संख्या में गिरावट आई, जबकि 6 राज्यों में अप्रैल-सितंबर 2024-25 में वृद्धि देखी गई। चित्र 3 राज्यवार रुझान दर्शाता है।

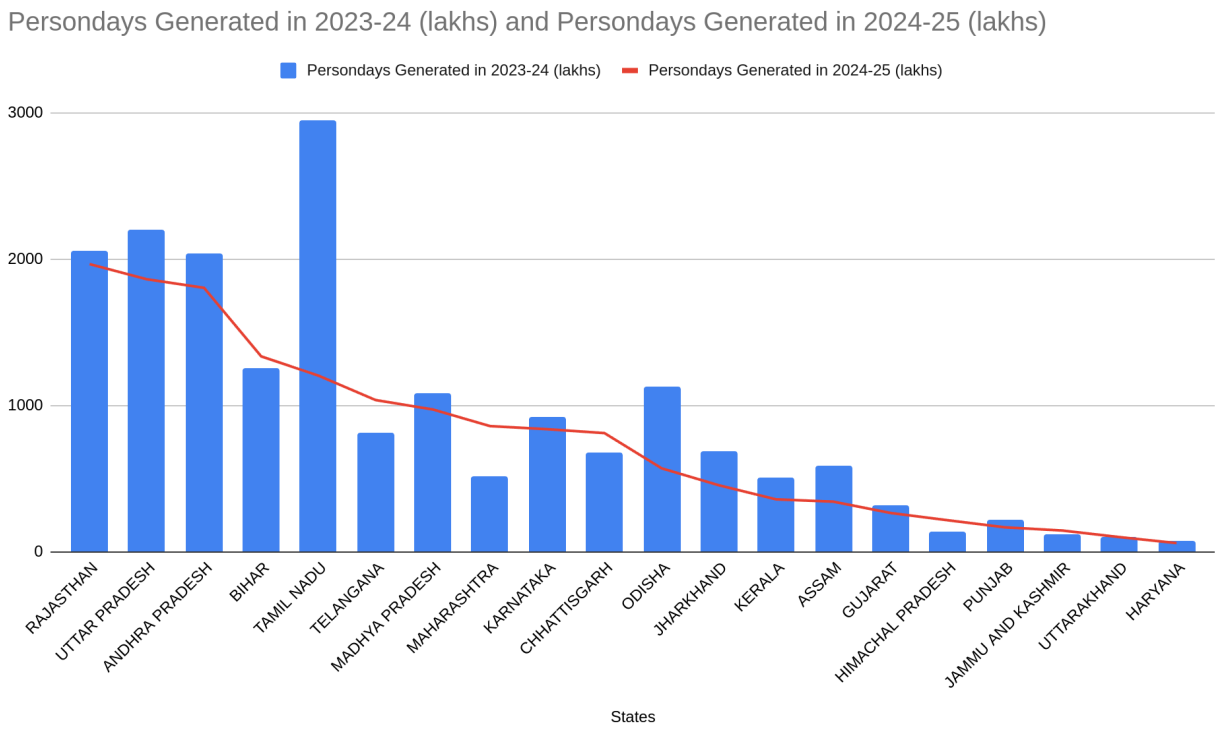

चित्र ***3:*** *2023-24* और *2024-25* के लिए अप्रैल-सितंबर के बीच राज्यवार व्यक्ति दिवस

जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है, सबसे बड़ी गिरावट तमिलनाडु (59.1%) और ओडिशा (49.7%) में देखी गई, जबकि महाराष्ट्र (66%) और हिमाचल प्रदेश (53.4%) में व्यक्ति दिवसों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई। उपरोक्त आँकड़ों में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है।

पश्चिम बंगाल में मनरेगा कार्यों का बंद होना:
पश्चिम बंगाल में मनरेगा दिसंबर 2021 से ही बंद है जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए तथा मनरेगा की धारा 27 को लागू करते हुए इसका फ़ंड रोक दिया था। नतीजतन, रोज़गार प्रदान करने या श्रमिकों के लिए लंबित मज़दूरी का भुगतान करने के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। हालाँकि, राज्य सरकार का दावा है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बक़ाया मज़दूरी का भुगतान कर दिया है। वर्तमान में, मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है, और इस समय पश्चिम बंगाल में कोई भी मनरेगा कार्य नहीं हो रहा है। सभी

श्रमिक यूनीयन नरेगा कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

5. निष्कर्ष

अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण रुझान सामने आए हैं। हालाँकि मामूली संख्या में नए श्रमिक जुड़े भी हैं लेकिन इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों के हटाए जाने से यह बढ़त दिखाई नहीं देती जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की संख्या में 39 लाख की कमी आई है। ग़लत तरीक़े से हटाए गए श्रमिकों के आँकड़े देखे जाएँ तो सवाल उठता है कि यह प्रणाली कितनी कारगर है और रोज़गार प्राप्त करने में कैसे रोड़े खड़े करती है।

साथ ही, आँकड़ों को देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सृजित व्यक्ति-दिवसों में भारी गिरावट (16.6%) दिखाई देती है। यह गिरावट न केवल भागीदारी में कमी को दर्शाती है बल्कि उन लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में संभावित कमी को भी दर्शाती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कार्यान्वयन की पहले से मौजूद चुनौतियाँ, विशेष रूप से आधार-आधारित भुगतान और एबीपीएस के लिए श्रमिक पात्रता के चलते, इन समस्याओं को और भी बदतर बना रही हैं। उल्लेखनीय रूप से, सभी मनरेगा श्रमिकों में से लगभग 27.4% एबीपीएस के लिए अपात्र हैं, जो श्रमिकों के दस्तावेज़ीकरण और नरेगा कार्यक्रम की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता को उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2021 से मनरेगा कार्यों के निलंबन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है जिससे कई श्रमिकों को उनकी मज़दूरी नहीं मिली है और कई श्रमिक रोज़गार के अवसरों से वंचित रह गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में चल रहे कानूनी मामले ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे में, राज्य में नरेगा के उचित कार्यान्वयन को बहाल करने के लिए हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा काम के आश्वासन के बावजूद, एबीपीएस की अयोग्यता के कारण कई श्रमिकों को रोज़गार से वंचित रखा जा रहा है। साफ़ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग और तालमेल की बहुत ज़रूरत है।

आने वाले समय में, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लक्षित सुधारात्मक उपायों के साथ इन कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण होगा। ग़लत तरीक़े से हटाए गए श्रमिकों को बहाल करना और एबीपीएस प्रणाली में सुधार करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि मनरेगा ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित कार्यक्रम बना रहे। रोज़गार की भारी माँग, इन प्रणालीगत चुनौतियों के साथ मिलकर, कार्यक्रम में विश्वास बहाल करने और इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तत्काल नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

अनुलग्नक 1

राज्य	पंजीकरण की संख्या	चालू वर्ष में हटाए गए श्रमिकों की संख्या	चालू वर्ष में जोड़े गए श्रमिकों की संख्या	डेटा बेस से मिटाए गए श्रमिकों की कुल संख्या	मिटाए गए श्रमिकों का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	12025911	286769	348285	-61516	-0.51
असम	11024245	1015095	227894	787201	7.14
बिहार	15842091	1240178	513630	726548	4.59
छत्तीसगढ	7656906	1428854	307892	1120962	14.64
गुजरात	8841411	120373	134633	-14260	-0.16
हरियाणा	2338999	9975	30465	-20490	-0.88
हिमाचल प्रदेश	2791245	20757	50905	-30148	-1.08
जम्मू और कश्मीर	2225757	81621	33741	47880	2.15
झारखंड	9994366	295150	252731	42419	0.42
कर्नाटक	17881926	148404	254573	-106169	-0.59
केरल	5654310	193947	67629	126318	2.23
मध्य प्रदेश	16917932	167129	295755	-128626	-0.76
महाराष्ट्र	29181428	74039	584791	-510752	-1.75
ओडिशा	9506788	1009979	133542	876437	9.22
पंजाब	2771724	27200	52303	-25103	-0.91
राजस्थान	22442005	209276	306283	-97007	-0.43
तमिलनाडु	10793091	1718945	124275	1594670	14.77
तेलंगाना	10485850	247855	197223	50632	0.48
उत्तर प्रदेश	20414985	75664	600145	-524481	-2.57
उत्तराखंड	1616082	86837	23307	63530	3.93

पश्चिम बंगाल	25639130	26431	7839	18592	0.07
कुल	**246046182**	**8484478**	**4547841**	**3936637**	**1.60**

लिबटेक का परिचय

हम इंजीनियरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक वैज्ञानिकों की एक टीम हैं जो भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं। हम पिछले *10* वर्षों से तेलंगाना सहित देश के कई राज्यों में एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, हालाँकि हम में से कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से एक दशक से भी अधिक समय से इसमें शामिल हैं।

इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम:

चक्रधर बुद्ध | शमाला कित्ताने | राहुल मुक्केरा

अनुवाद: